प्र.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं० .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	28/11/2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अनुपस्थित उ० जवाब प्रस्तुत नहीं हुई। वास्ते नियत दिनांक 8/12/2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	8/12/25 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अनुपस्थित उ० वास्ते नियत दिनांक 29/12/25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	29/12/25 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अनुपस्थित उ० वास्ते आदेश दिनांक 7/1/2026 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	7/1/2026 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अनुपस्थित उ० पक्ष पैरवी नहीं होने से खारिज किया जाता है। [illegible] निर्णय प्रकरण को नियमानुसार जमा कर दाखिल [illegible] [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली लिया गया। प्रकरण कोरम पूरा होकर काय [illegible] दाखिल दफ्तर हो [illegible] 07/1/26 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायाल उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बाँदीकुई मुकाम–बाँदीकुई

जज इजलास– रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी बाँदीकुई मुकाम–बाँदीकुई

उनवान– दानाराम बनाम किलाण सहाय

दावा बाबत– उद्घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड व स्थायी निषेधाज्ञा

मु.न. 116/2023

अतः आदेश है कि भूमि खतौनी संख्या नई 17 पुरानी 14 सम्वत 2074–77 के खसरा न. 739 रकबा 0.38 हैक्टे. खसरा न. 740 रकबा 0.35 हैक्टे. खसरा न. 741 रकबा 0.49 हैक्टे. खसरा न. 745 हैक्टे. 0.05 हैक्टे. खसरा न. 749 रकबा 0.27 हैक्टे. खसरा न. 752 रकबा 0.31 हैक्टे. खसरा न. 753 रकबा 0.40 हैक्टे. खसरा न. 754 रकबा 0.28 हैक्टे. खसरा न. 755 रकबा 0.33 हैक्टे. कुल किता 9 कुल रकबा 2.86 हैक्टेयर वाके रामा कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा तथा भूमि खतौनी संख्या नई 125 पुरानी 123 सम्वत 2074–77 के खसरा न. 738 रकबा 0.02 हैक्टे. कि गै.मु. चाह वाके रामा कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में प्रस्तुत वाद उद्घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

....बाबत्............

निज..............................मुबलिग...

..............................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07. माह 01 सन् 2026 को जारी की गई।

07/1/26

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर. बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत......07/1/26
ओहदा..................

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

मु. न. 116/2023
दर्ज दिनांक 03.08.2023
निर्णय दिनांक 07.01.2026

उनवान

दानाराम पुत्र श्री गोपाल जाति मीना निवासी गुढलिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
—वादी

बनाम

1. किलाण सहाय
2. बंशीलाल
3. बाबूलाल
4. विजयलाल
   } पुत्रान रामपाल
5. शम्भूदयाल
6. छीतरमल पुत्र पून्या
7. रामराज पुत्र पून्या
8. रामोतार पुत्र पून्या
9. हरलाल पुत्र कंवरपाल
10. मुकेश पुत्र नानगा
11. जम्बूरी पत्नि नानगा
12. रमेश
13. महेश
14. भरतलाल
    } पुत्रान रामकिशन

} (क्रम 1 से 14) समस्त जातियान मीना निवासी गुढलिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान।

15. भौती पत्नि रामकिशन
16. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया।
17. भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजगढ जिला अलवर।
18. राजस्थान सरकार भू स्वामी जरिये तहसीलदार बांदीकुई

—प्रतिवादीगण

वादपत्र उद्घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

—::निर्णय::—

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड व स्थायी निषेधाज्ञा जरिये वकील श्री घनश्याम गुर्जर के पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:— भूमि खतौनी संख्या नई 17 पुरानी 14 सम्वत 2074—77 के खसरा न. 739 रकबा 0.38 हैक्टे. खसरा न. 740 रकबा 0.35 हैक्टे. खसरा न. 741 रकबा 0.49 हैक्टे. खसरा न. 745 हैक्टे. 0.05 हैक्टे. खसरा न. 749 रकबा 0.27 हैक्टे. खसरा न. 752 रकबा 0.31 हैक्टे. खसरा न. 753 रकबा 0.40 हैक्टे. खसरा न. 754 रकबा 0.28 हैक्टे. खसरा न.

Scanned with OKEN Scanner

755 रकबा 0:33 हैक्टे. कुल किता 9 कुल रकबा 2.86 हैक्टेयर वाके रामा कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। तथा भूमि खतौनी संख्या नई 125 पुरानी 123 सम्वत 2074–77 के खसरा न. 738 रकबा 0.02 हैक्टे. कि गै.मु. चाह वाके रामा कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है जिसे आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। भूमि मुतदाविया से सिजरा खानदान अनुसार वादी का हिस्सा 1/3, 1/3 दर्ज होना चाहिए था लेकिन गत जमाबन्दियों में वादी कव प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज नही होने से चालू जमाबन्दी बनाते समय वादी व प्रतिवादगण सभी के 1/15, 1/15 व 1/8, 1/8 हिस्से गलत तरीके से दर्ज कर दिये गये वादी की जानकारी में दिनांक 17.05.2023 को आने के बाद वादी ने प्रार्थना पत्र तहसीलदार बांदीकुई प्रतिवादी संख्या 18 के समक्ष वादी के हिस्से की दुरूस्ती का पेश किया था। जिस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट तलब की गई लेकिन आज तक वादी का हिस्सा जो जमाबंदी में गलत दर्ज चला आ रहा है को शुद्ध नहीं किया गया है। इसलिये वादी को वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी आया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण विधिवत रूप से की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1, 12, 13, 16, 17 बावजुद तामील उपस्थित नही ना ही उनका कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुआ, अतः प्रतिवादीगण संख्या 1, 12, 13, 16, 17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र (प्रदर्श–1) ,ग्राम कोलवा जमाबंदी खाता संख्या नया 17 पुराना 14 सम्वत 2074–77 (प्रदर्श–2), ग्राम कोलवा जमाबंदी खाता संख्या नया 125 पुराना 123 सम्वत 2074–77 (प्रदर्श–3), प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बांदीकुई को हिस्सा दुरूस्त करवाने बाबत् प्रार्थना–पत्र (प्रदर्श–4), मौका–पर्चा रिपोट (प्रदर्श–5) डलवाये गये। पत्रावली बहस पर नियत की गयी। वादी अधिक्ता द्वारा दौराने बहस अपने वाद पत्र को दोहराते हुए वादी का हिस्सा जो जमाबंदी में गलत दर्ज चला आ रहा है को शुद्ध किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम कोलवा की जमाबंदी खाता संख्या नया 17 पुराना 14 में वादी का हिस्सा 1/15 दर्ज है। ग्राम कोलवा की जमाबंदी खाता संख्या नया 125 पुराना 123 में वादी का हिस्सा 1/8 दर्ज है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बांदीकुई को हिस्सा दुरूस्त करवाने बाबत् प्रार्थना–पत्र (प्रदर्श–4), मौका–पर्चा रिपोट (प्रदर्श–5) पेश किया जो प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। एवं मौका रिपोर्ट में वादी का हिस्सा 1/3 उल्लेखित नहीं किया। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे ये साबित हो सके कि प्रार्थी का हिस्सा गलत दर्ज हुआ है। ना ही वादी द्वारा कोई पुराना रिकॉर्ड पेश किया है। वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उद्घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होना प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि भूमि खतौनी संख्या नई 17 पुरानी 14 सम्वत 2074–77 के खसरा न. 739 रकबा 0.38 हैक्टे. खसरा न. 740 रकबा 0.35 हैक्टे. खसरा न. 741 रकबा 0.49 हैक्टे. खसरा न. 745 हैक्टे. 0.05 हैक्टे. खसरा न. 749 रकबा 0.27 हैक्टे. खसरा न. 752 रकबा 0.31 हैक्टे. खसरा न. 753 रकबा 0.40 हैक्टे. खसरा न. 754 रकबा 0.28 हैक्टे. खसरा न. 755 रकबा 0.33 हैक्टे. कुल किता 9 कुल रकबा 2.86 हैक्टेयर वाके रामा कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा तथा भूमि खतौनी संख्या नई 125 पुरानी 123 सम्वत 2074–77 के खसरा न. 738 रकबा 0.02 हैक्टे. कि गै.मु. चाह वाके रामा कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में प्रस्तुत वाद उद्घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड व स्थाई

Scanned with OKEN Scanner

निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

07/1/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner